

**कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ (राजस्थान)**

क्रमांक: स्था./2023/320

**आदेश**

दिनांक : 04.08.23

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत सेशन रतार के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने अथवा किसी कारणवश अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय के आवश्यक/दैनिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य की देखभाल करने से संबंधित पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए सेशन रतार के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने अथवा किसी कारणवश अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय के आवश्यक/दैनिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य की देखभाल हेतु निम्नानुसार लिंक अधिकारी अधिकृत किये जाते हैं :-

Sr. No.	Name of Court	Link officer				
		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
1	DJ, Jhalawar	Spl. Judge, NDPS Cases, Jhalawar	Spl. Judge, SC/ST Cases, Jhalawar	ADJ, Jhalawar	ADJ, Aklera	ADJ, Bh.Mandi
2	ADJ, Jhalawar	Spl. Judge, NDPS Cases, Jhalawar	Spl. Judge, SC/ST Cases, Jhalawar	DJ, Jhalawar	ADJ, Aklera	ADJ, Bh.Mandi
3	Spl. Judge, SC/ST Cases, Jhalawar	Spl. Judge, NDPS Cases, Jhalawar	ADJ, Jhalawar	DJ, Jhalawar	ADJ, Aklera	ADJ, Bh.Mandi
4	Spl. Judge, NDPS Cases, Jhalawar	DJ, Jhalawar	ADJ, Jhalawar	Spl. Judge, SC/ST Cases, Jhalawar	ADJ, Aklera	ADJ, Bh.Mandi
5	ADJ, Aklera	Spl. Judge, SC/ST Cases, Jhalawar	ADJ, Jhalawar	Spl. Judge, NDPS Cases, Jhalawar	DJ, Jhalawar	ADJ, Bh.Mandi
6	ADJ, Bhawanimandi	ADJ, Jhalawar	Spl. Judge, SC/ST Cases, Jhalawar	Spl. Judge, NDPS Cases, Jhalawar	DJ, Jhalawar	ADJ, Aklera

**नोट:-**

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र संख्या 16/पी.आई. दिनांक 23.05.1984 के अनुसरण में झालावाड़ मुख्यालय पर कोई भी आर.एच.जे.एस. अधिकारी उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र संख्या 16/पी.आई. दिनांक 23.05.1984 के अनुसरण में अकलेरा मुख्यालय पर कोई भी आर.एच.जे.एस. अधिकारी उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र संख्या 16/पी.आई. दिनांक 23.05.1984 के अनुसरण में भवानीमण्डी मुख्यालय पर कोई भी आर.एच.जे.एस. अधिकारी उपस्थित नहीं रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़; अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़; विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.), झालावाड़ एवं विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, झालावाड़ के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित होने की स्थिति में, झालावाड़ मुख्यालय पर स्थित उक्त न्यायालयों के सेशन मामलों में आवश्यक कार्य सम्पादित करने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है।



(सिया रघुनाथ दान)  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
झालावाड़ (राजस्थान)

क्रमांक: स्था./2023/ 5110-25

दिनांक : 04.08.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, झालावाड़।
- न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, झालावाड़।
- विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट प्रकरण, सं. 01 व 02, झालावाड़।
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़/अकलेरा/भवानीमण्डी।
- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.) झालावाड़।
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
- अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा/भवानीमण्डी।
- जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़।
- अध्यक्ष, वार एसोसिएशन,
- रीडर ग्रेड-1, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम ऑफिसर कार्यालय हाजा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश / संबंधित पत्रावली/नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।



(सिया रघुनाथ दान)  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
झालावाड़ (राजस्थान)